

परिपत्र सं./Circular No. 17 / 2024

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

Sub: Awareness on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

यौन उत्पीड़न समिति के संज्ञान में आया है कि इस कार्यालय के कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर कुछ महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तथा उन्हें परेशान कर रहे हैं।

अतः यह समिति सभी पुरुष सरकारी अधिकारियों/आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्देश देती है कि यदि किसी महिला कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे गम्भीरता से लिया जाएगा तथा POSH अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

It has come to the notice of the Sexual Harassment Committee that some officers of this office are misbehaving and harassing some female staff by using their position as a threat.

Therefore, this committee instructs all male Govt. Officers/Outsourced employees that if any complaint is received from any female employee, it will be taken seriously and action will be taken as per POSH Act, 2013.



(वाय. मंगला) 8/24

वेतन एवं लेखा अधिकारी /अध्यक्ष POSH
सीपज़-सेज़

E-mail: ymangala.17@gov.in
Contact No.: 022-28294726

F.No.:SEEPZ-SEZ/ADMIN/CSH/12/2022-23/09725

दिनांक: 08/8/2024

To,

1. सीपज़-सेज़ के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी/ All Officers & Staff Members of SEEPZ-SEZ.
2. DCO/JDCO/DDCO
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर
4. सीपज़-सेज़ वेबसाइट
5. नोटिस बोर्ड